

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ. 2 (ग) (केडर रिव्यू) अलेसे-I/ 3135-3152

दिनांक :- 21-08-2014

केडर स्ट्रेन्थ आदेश संख्या15/2014-15

वित्त विभाग द्वारा अधिसूचना एफ.1 (11) एफडी/ रेवेन्यू/ 96 पार्ट-II जयपुर, दिनांक 24.05.2013 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 13.08.2013 में दिये गये निर्देशों तथा संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा के पत्रांक प.1(23)शिक्षा/गुप-3/2013-14/ दिनांक 04.10.2014 एवं प. 1(23)शिक्षा/गुप-3/2013-14/2084 दिनांक 31.01.2014 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की केडर स्ट्रेन्थ में उच्च शिक्षा विभाग की सूची में नीचे वर्णित पदों को शामिल किया जाता है:-

क्र.स.	विभाग/कार्यालय का नाम	स.ले.अ.	लेखाकार	क.ले.
1.	प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, अलवर	—	01	—
2.	प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, अजमेर	—	01	—
3.	प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, भरतपुर	—	01	—
4.	प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, बीकानेर	—	01	—
5.	प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, बून्दी	—	01	—
6.	प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, भीलवाडा	—	01	—
7.	प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, चूरु	—	01	—
8.	प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, धौलपुर	—	01	—
9.	प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, झालावाड	—	01	—
10.	प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, कोटा	—	01	—
11.	प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, पाली	—	01	—
12.	प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, नागौर	—	01	—
13.	प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, सिरोही	—	01	—
14.	प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, सीकर	—	01	—
15.	प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, श्रीगंगानगर	—	01	—
योग		-	15	-


(वीरबाला जोशी)

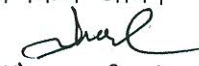
निदेशक

दिनांक :- 21-08-2014

क्रमांक:- एफ. 2 (ग) (केडर रिव्यू) अलेसे-I/ 3135-3152

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, उच्च शिक्षा (गुप-3) विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर।
4. प्राचार्य सम्बन्धित राजकीय विधि महाविद्यालय।
5. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में इन्द्राज करने हेतु।
6. निजी सहायक, निदेशक महोदया।
7. पदस्थापन सहायक अलेसे-II विभागीय अभिलेखों में आवश्यक संशोधन किये जावें।


(कै.एम. मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)